

प्रेस नोट दिनांक 25-08-2021

थाना कोतवाली देहात व काइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा लखनौती खुर्द के पास शराब ठेके के सैल्समैन के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाले 04 शातिर लुटेरो को बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार, कब्जे से लूट का सामान, मोटर साइकिल व अवैध असलहा / कारतूस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16-08-2021 को रजवाहे के मोड से आगे ग्राम लखनौती खुर्द के पास श्री नितिन पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर, जो ग्राम करौन्दी में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का सैल्समैन है, जो दुकान बन्द करके एक मोटर साइकिल सवार से लिफ्ट लेकर अपने ग्राम लखनौती आ रहा था, तभी मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्ति आये और नितिन उपरोक्त के कंधे से उसका बैग, जिसमें नगदी, फोन का चार्जर व कुछ जरुरी कागजात थे, को छीन लिया। नितिन ने उसका विरोध किया तो उन्होने नितिन के गोली मार दी और बैग लेकर भाग गये। जिसके सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 405/2021 धारा 394/307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना कोतवाली देहात पुलिस के साथ-साथ काइम ब्रांच टीम को भी लगाया गया।

जिसके क्रम में दिनांक 24-08-2021 को पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात व काइम ब्रांच की संयुक्त टीम के अथक प्रयासो द्वारा लखनौती बार्डर पर रजवाहे की पुलिस से चैकिंग के दौरान उपरोक्त घटना को अंजाम देने वाले 04 शातिर लुटेरे क्रमशः 1-विशू उर्फ विशाल पुत्र झण्डू सिंह निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर 2-सौरभ पुण्डीर पुत्र प्रदीप राणा निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर 3-नीरज शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम मिर्जापुर पूजनेकी थाना बेहट, सहारनपुर 4-ललित उर्फ तोल्ला पुत्र राकेश निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर को लूटा गया बैग, 18350/-रुपये नगद, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 01 बैलेन्स सीट शराब ठेका, 01 मोबाइल चार्जर, 03 मोबाइल फोन, 01 पिस्टल 32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त की गई हीरो स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 11 बीए-1172 व हीरो स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 11 जेड-0473 सहित समय 13:25 बजे बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। मौके पर की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने करीब 07-08 दिन पूर्व रजवाहे के मोड से आगे ग्राम लखनौती खुर्द के पास शराब के ठेके के सैल्समैन से लूट की घटना को अंजाम देना एवं सैल्समैन को गोली मारना स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 425/21 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 426/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 427/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 428/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 429/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-विशू उर्फ विशाल पुत्र झण्डू सिंह निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर।
- 2-सौरभ पुण्डीर पुत्र प्रदीप राणा निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर।
- 3-नीरज शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम मिर्जापुर पूजनेकी थाना बेहट, सहारनपुर।
- 4-ललित उर्फ तोल्ला पुत्र राकेश निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-लूटा गया बैग। 2-लूट के 18350/-रुपये नगद। 3-आधार कार्ड, पेन कार्ड, 01 बैलेन्स सीट शराब ठेका। 4-01 मोबाइल चार्जर, 03 मोबाइल फोन। 5-01 पिस्टल 32 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस।	6-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 नाजायज चाकू। 7-घटना में प्रयुक्त की गई हीरो स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 11 बीए-1172। 8-घटना में प्रयुक्त की गई हीरो स्पलेण्डर मो0सा0 नं0 यूपी 11 जेड-0473।
--	--

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-श्री उमेश रोरिया, प्रभारी निरीक्षक, को0देहात, स0पुर। 2-व0उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिरोही, थाना को0देहात, स0पुर। 3-उ0नि0 श्री जयवीर सिंह भाटी, प्रभारी स्वाट टीम, स0पुर। 4-उ0नि0 श्री अजय प्रसाद गौड, प्रभारी अभि0विंग, स0पुर। 5-उ0नि0 श्री अजब सिंह, प्रभारी सर्विलान्स सेल, स0पुर। 6-उ0नि0 श्री विनित मलिक, थाना को0देहात, स0पुर। 7-उ0नि0 श्री सुनील कुमार, थाना को0देहात, स0पुर। 8-है0का0 336 यशपाल सिंह, सर्विलान्स सेल, स0पुर।	9-है0का0 08 नेत्रपाल, अभिसूचना विंग, स0पुर। 10-है0का0 447 अमरदीप, स्वाट टीम, स0पुर। 11-है0का0 65 निर्भय सिंह, थाना को0देहात, स0पुर। 12-का0 967 कमल, स्वाट टीम, स0पुर। 13-का0 405 गौरव, स्वाट टीम, स0पुर। 14-का0 258 रोबिन राठी, थाना को0देहात, स0पुर। 15-का0 122 लक्ष्मण, थाना को0देहात, स0पुर। 16-का0 1942 जितेन्द्र सिंह, थाना को0देहात, स0पुर।
---	--



प्रेस नोट दिनांक 25/08/21 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बबलू सिंह वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 25/08/21 को आयुध अधि० के अभियुक्त व चोरी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

1. उ०नि० राजपाल सिंह मय हमराह का० 1582 सन्नी राणा व का० 1374 विकास कुमार द्वारा दो नफर अभि० (1) सुनील पुत्र सतपाल (2) अजय विश्वास निवासीगण ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड सहारनपुर को दो अदद चाकू नाजायज के साथ अध्याना तिराहे से दिनांक 25/08/21 समय 09.20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 351/21 धारा 4/25 A. Act बनाम सुनील, मु०अ०स० 352/2021 धारा 4/25 A. Act बनाम अजय पंजीकृत किया गया है।
2. उ०नि० श्री जोनसन मय हमराह है०का० 207 अशोक कुमार द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त बन्टी उर्फ मन्टू पुत्र राजपाल निवासी धौराला थाना नकुड सहारनपुर सम्बन्धित मु०अ०स० 329/2021 धारा 380/411 भादवि० व मु०अ०स० 331/2021 धारा 414/420/465 भादवि० को मुखबिर की सूचना पर नया बस अड्डा कस्बा नकुड से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

अभि० का नाम व पता:-

1. सुनील पुत्र सतपाल निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड सहारनपुर
2. अजय विश्वास निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना नकुड सहारनपुर
3. बन्टी उर्फ मन्टू पुत्र राजपाल निवासी धौराला थाना नकुड सहारनपुर

बरामदगी:

दो अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री बबलू सिंह वर्मा
2. उ०नि० श्री राजपाल सिंह
3. उ०नि० श्री जोनसन कुमार
4. है०का० 207 अशोक कुमार
5. का० 1582 सन्नी राणा
6. का० 1374 विकास कुमार

प्रेस नोट दिनांक 25-08-2021 थाना सरसावा सहारनपुर

अवगत कराना है कि शासन द्वारा चलाये जा रहे गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में गैंगस्टर के अभियुक्त की नियमानुसार सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत धर्मेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना सरसावा के द्वारा थाना सरसावा एवं तहसीलदार सदर सहारनपुर के नेतृत्व में आज दिनांक – 25.08.2021 को थाना रामपुर मनिहारन पर पंजिकृत मु0अ0सं0 129/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है, से सम्बन्धित अभि0 शोभाराम पुत्र कुरडीराम नि0 चन्दनपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर ने एक प्लाट रकबा 410 वर्ग मीटर रामशरण पुत्र सुमेरचन्द नि0 ककराला थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर से (ककराला में ही स्थित प्लाट) दिनांक – 4.01.2019 को 15 लाख 17 हजार रु0 (कानूनी मालयत) में क्रय किया था। उक्त प्लाट की गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।



अभियुक्त का नाम व पता: –

शोभाराम पुत्र कुरडीराम नि0 चन्दनपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण:-

1.ग्राम ककराला परगना व तहसील व जिला सहारनपुर में खसरा नं0 295/1 पर स्थित एक प्लाट 410 वर्ग मीटर 15 लाख 17 हजार रु0 (कानूनी मालयत)।

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 - 0089/2013 धारा - 60 EX ACT थाना - रामपुर मनिहारन
2. मु0अ0सं0 -0185/2014 धारा - 60/72 EX ACT व 272/273 IPCथाना-रामपुर मनिहारन
- 3 .मु0अ0सं0 -0236/2015 धारा – 307/420 IPC व 60 EX ACT थाना -रामपुर मनिहारन
4. मु0अ0सं0 -0098/2021 धारा - 60/63/72 EX ACT थाना -रामपुर मनिहारन
- 5.मु0अ0सं0 - 0101/2021 धारा - 3/25 A ACT थाना - रामपुर मनिहारन
- 6.मु0अ0सं0 -0129/2021 धारा - 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना - रामपुर मनिहारन
- 7.मु0अ0सं0- 0540/2013 धारा 60/72 EX ACT थाना -सदर बाजार
- 8.मु0अ0सं0 -0270/2015 धारा - 60/63/72 EX ACT थाना -कुतुबशेर

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम के सदस्यों का नाम:-

- 1.श्रीमान तहसीलदार सदर जनपद सहारनपुर
- 2.थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
- 3.कां0 1303 आशीष राठी थाना सरसावा सहारनपुर
- 4.कां0 532 दीपक राठी थाना सरसावा सहारनपुर
- 5.कां0 मनोज खोखर थाना सरसावा सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 25-08-2021

थाना को0नगर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 24.08.2021 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा सागर गाडी धुलाई सेन्टर से अभि0 दानिश पुत्र इरशाद निवासी लुहारो वाली मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर को 08 बोतल अवैध देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0 181/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 24.08.2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा जंगल ग्राम धौलाहेडी से अभि0 महावीर पुत्र फूल सिंह निवासी छोटी पटेड थाना चिलकाना सहारनपुर को 41 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 293/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

मीडिया / सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।